न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 59/2022 अपील प्रकरण में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा.दी.

1. देवीलाल पुत्र मोहन बैरवा निवासी देवरिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

बनाम

1. मेघा पुत्री हजारी बैरवा निवासी देवरिया
2. रामदेव पुत्र मोहन बैरवा निवासी देवरिया
3. तहसीलदार हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

–

विपक्षीगण

उपस्थित –

1. श्री के. जी. शर्मा अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री सत्यनारायण सोमानी अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.04.2023

अपील प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरकरण संख्या 310 दिनांक 09.06.1989 के विरूद्व अपील पेश की हैं, प्रस्तुत अपील में मुख्य आधार गोदनामें संबंधी लिये गये है। इस बाबत् सुनवाई का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को हैं, किन्तु अपीलाण्ट ने अपील के साथ साथ खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् वादपत्र उपखण्ड न्यायालय गुलाबपुरा में प्रस्तुत किया हुआ हैं, जिसके प्रकरण संख्या 174/22 राजस्व वाद है। अपील में जो आधार वर्णित किये हैं, उन्हीं आधारों पर राजस्व न्यायालय में घोषणात्मक अनुतोष हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया हुआ हैं। ऐसी स्थिति में घोषणात्मक अनुतोष पक्षकारान के हक अधिकार उभयपक्षकारान की साक्ष्य में तय होगें तथा कानूनन स्थिति भी यही है कि, जहां घोषणात्मक अनुतोष बाबत् वादपत्र विचाराधीन हैं, ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की अपील में जो कि एक संक्षिप्त कार्यवाही होती हैं, उसमें कोई हक अधिकार तय नहीं होते हैं। इस कारण अपील जैर बहस की कार्यवाही को मूल वादपत्र के निस्तारण तक स्थगित रखा जावे अथवा मूल वाद के निर्णयाधिन अपील को निस्तारित किया जाये। निवेदन हैं कि उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति अपीलार्थी अधिवक्ता को दिलायी गयी।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र की बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने अपील के साथ साथ खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् वादपत्र उपखण्ड न्यायालय गुलाबपुरा में प्रस्तुत किया हुआ हैं, जिसके प्रकरण संख्या 174/22 राजस्व वाद है। अपील में जो आधार वर्णित किये हैं, उन्हीं आधारों पर राजस्व न्यायालय में घोषणात्मक अनुतोष हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया हुआ हैं। ऐसी स्थिति में घोषणात्मक अनुतोष पक्षकारान के हक अधिकार उभयपक्षकारान की साक्ष्य में तय होगें तथा कानूनन स्थिति भी यही है कि, जहां घोषणात्मक अनुतोष बाबत् वादपत्र विचाराधीन हैं, ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की अपील में जो कि एक संक्षिप्त कार्यवाही होती हैं, उसमें कोई हक अधिकार तय नहीं होते हैं। निवेदन हैं कि उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे। विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में विधिक दृष्टान्त आरआरडी 14.5.2019 श्रीमती हस्तु

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

माली व अन्य बनाम श्रीमती मांगीबाई व अन्य एवं कादर बानो व अन्य बनाम खुर्शीद व अन्य पेश किये हैं।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र गलत तौर प्रस्तुत किया हैं। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण पारित किया हैं, जिसकी सुनवायी राजस्व न्यायालय से संबंधित होने से यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। विधिक दृष्टान्त गुलाबी बनाम रामजीलाल 142 एवं मै. ईश्वरलाल भगतराम बनाम आसुलाल में स्पष्ट तौर अंकित किया हुआ हैं कि जहां दोनों पक्षकारों के मध्य खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद विचाराधीन हैं, ऐसे में उक्त वाद के निर्णय तक नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जावे। राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने इस निर्णय को ध्यान में रखते हुये अपील स्वीकार की हैं। इस कारण यह अपील इस न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार की हैं। निवेदन हैं कि रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे एवं अपील गुणावगुण पर निर्णित की जावे। अपीलार्थी अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त आरआरडी 1998, 370, आरआरडी 2008, 168, आरआरडी 2009, 303, आरआरटी 2018–19(सप.)145, आरआरडी 1998, 319, आरबीजे (9) 2002, 304 पेश किये।

प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी ने अपील के साथ साथ खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् वादपत्र उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा में प्रस्तुत कर रखा हैं जिसके प्रकरण संख्या 174/22 राजस्व वाद दर्ज होकर जैरकार हैं। ऐसी स्थिति में जब घोषणात्मक अनुतोष बाबत् राजस्व वाद विचाराधीन हो एवं नामान्तकरण की अपील जो कि एक संक्षिप्त कार्यवाही (summery Procedding) होती हैं जिससे विधिक रूप से किसी के हक अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता हैं, ऐसे में अपीलार्थी की नामान्तरकरण की अपील में निर्णय जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। विपक्षी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार विपक्षी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव–

आदेश

विपक्षी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। अपील में वर्णित आधारों पर ही खातेदारी घोषणात्मक राजस्व वाद जैरकार होने से, अपीलार्थी की नामान्तकरण की अपील जो कि एक संक्षिप्त कार्यवाही (summery Procedding) होती हैं, जिसमें विधिक रूप से किसी के हक अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता हैं, ऐसे में अपीलार्थी की नामान्तरकरण की अपील में निर्णय किया जाना न्यायोचित नहीं होने से, अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2023 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा